

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 344]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 1, 1977/कार्तिक 10, 1899

No 344]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 1, 1977/KARTIKA 10, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

CUSTOMS

New Delhi, the 1st November 1977

G.S.R. 666(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts photographic, filming sound-recording and radio equipments, raw-films, video-tapes and sound-recording tapes, when imported into India, from the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and the additional duty leviable thereon under section 3 of the second mentioned Act, subject to the following conditions, namely,—

- (1) a certificate is produced to the Assistant Collector of Customs at the time of clearance of the goods from a duly authorised officer of the External Publicity Division of the Ministry of External Affairs, Government of India, that the importation is for a purpose which is in the public interest, and has been sponsored or approved by the Government of India,
- (2) an undertaking is given by the importer or the sponsoring authority to the Assistant Collector of Customs at the time of clearance of goods that the goods in respect of which the exemption is claimed shall be re-exported within three months from the date of their importation or within such extended period, not exceeding 12 months from the date of importation, as the Assistant Collector of Customs may allow and that, in the event of the failure to re-export as aforesaid, to pay the duty which would have been levied but for the exemption contained herein

[No 231/F. No. 466/76/77-Cus V]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएँ

सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1977

सांका०मि० 666(अ) —केंद्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, फोटोग्राफी, फिल्म सबधी, साउण्ड रिकार्डिंग सबधी और रेडियो उपकरणों, कच्ची फिल्मों, वीडियो टेपों और साउण्ड रिकार्ड करने के टेपों को, तब जब उनका आयात भारत में किया जाए, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त सीमा-शुल्क में और उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय अनिश्चित शुल्क में, निम्नलिखित शर्तों पर छूट देती है, अर्थात् —

- (1) उक्त माल की निकासी के समय सीमा-शुल्क सहायक कलैक्टर के समक्ष भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के विदेश विज्ञापन डिवीजन के सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी का इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त माल का आयात ऐसे प्रयोजन के लिए है जो लोक हित में है और जिसका प्रायोजन और अनुमोदन भारत सरकार ने किया है,
- (2) आयातकर्ता या प्रायोजनकर्ता प्राधिकारी द्वारा उक्त माल की निकासी के समय, सहायक सीमा शुल्क कलैक्टर के समक्ष यह वचन बंध किया जाता है कि वह माल जिसके सबंध में छूट का दावा किया गया है उसके आयात किए जाने की तारीख से तीन मास के भीतर अथवा ऐसी बर्खास्त गई अवधि के भीतर, जो सहायक सीमा-शुल्क कलैक्टर अनुमान करे, किन्तु जो आयात की तारीख से 12 मास से अधिक नहीं होगी, उक्त माल का पुन निर्यात करेगा और यदि, उपर्युक्त रूप से पुन निर्यात करने में वह असफल रहता है तो उक्त माल पर उतने शुल्क का सदाय करेगा जो इस अधिसूचना में दी गई छूट न दिए जाने की दशा में उद्ग्रहणीय होता।

[स० 231/फा० स० 466/76/77-सी०यू०एम०-V]

G.S.R. 667(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 3 of the Finance Act, 1977 (11 of 1977), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No 123-Customs, dated the 1st July, 1977, namely —

In the Schedule annexed to the said notification after Serial No 161 and the entries relating thereto the following shall be inserted, namely —

“162 No 231 Custom dated the 1st November 1977”

[No 232/F No 466/76/77-Cus V]

V K GUPTA, Dy. Secy

सांका० नि० 687 (अ) —केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1977 (1977 का 11) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 123 सीमा-शुल्क, तारीख 1 जुलाई, 1977 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना में उपावृद्ध अनुसूची में, क्रम सं० 161 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त स्थापित किया जाएगा अर्थात् .—

“162. सं० 231 सीमा-शुल्क, तारीख 1 नवम्बर 1977” ।

[सं० 232/फा० सं० 466/76/77-सी० यू० एम०-V]

बी० के० गुप्ता, उप-सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मूद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977

